राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक
नई दिल्ली
1– 2 जून, 2008

अध्यक्षीय भाषण

मित्रों, भाजपा की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम सब भारत की राजधानी में एक बार पुनः एकत्रित हो रहे हैं। आज की यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण की गवाह है और भाजपा के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि के तुरन्त बाद हो रही है। हम सभी जानते हैं कि कर्नाटक में हमने शानदार सफलता प्राप्त की है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम कर्नाटक की जनता के प्रति आभार प्रगट करता हूं तथा कर्नाटक में भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं को उनके अथक परिश्रम और प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। इनके साथ–साथ मैं विशेष रूप से कर्नाटक के नव–निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येदीयुरप्पा, प्रदेश अध्यक्ष श्री सदानंद गौड़ा, राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार, विगत एक वर्ष से वहां के प्रभारी रहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री यशवंत सिन्हा और कुशल चुनाव प्रबंधन करने के लिए चुनाव प्रभारी के रूप में वहां गये राष्ट्रीय महासचिव श्री अरूण जेटली को बधाई देता हूं।

कर्नाटक की जीत भारत की राजनीति में भाजपा और एनडीए गठबंधन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। कर्नाटक की विजय भाजपा के राजनैतिक विस्तार ही नहीं बल्कि सामाजिक और भौगोलिक विस्तार का एक नया प्रतीक बन कर उभरी है। कर्नाटक में 'कमल' का खिलना, दक्षिण भारत में कमल के खिलने का संदेश है जिसके दूरगामी परिणाम आने वाले वर्षों में हम सबको दिखाई पड़ेंगे।

कर्नाटक की जीत से केन्द्र की यूपीए सरकार और कांग्रेस के प्रति जनता के अविश्वास के साथ–साथ सभी राजनैतिक दलों को एक संदेश भी जाता है कि अवसरवाद और विश्वासघात की राजनीति की आयु बहुत थोड़ी होती है। **कर्नाटक की जीत राजनैतिक अविश्वसनीयता के उत्तर में जनता द्वारा दिया गया विश्वासमत है।**

विगत दो वर्षों में पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल और अब कर्नाटक में हुई हमारी जीत का सिलसिला अब रूकेगा नहीं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम आगामी नवंबर 2008 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा का परचम जनसमर्थन से फहरायेंगे। इसके बाद सन् 2009 के मार्च–अप्रैल में संपन्न होने वाले आम चुनाव में एनडीए गठबंधन की केन्द्र में सरकार बनायेंगे और देश की जनता हम सभी के प्रिय नेता मा. लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी देते हुए देश की बागडोर उनके हाथ में सौंपेगी।

मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा इस देश की स्वाभाविक राजनैतिक दल है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मध्य प्रदेश में बेतूल लोकसभा चुनाव जो बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण हो गया था को हमने जीतने में पुनः सफलता प्राप्त की। वहीं हिमाचल में हमीरपुर लोकसभा हमने रिकार्ड मतों से जीता। हमारे सहयोगी शिवसेना ने थाणे लोकसभा में भी विजय प्राप्त की। कर्नाटक के साथ–साथ हम तीन लोकसभा क्षेत्रों के उपचुनाव जीते। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली।

मित्रों, कर्नाटक की विजय के बाद यदि हम भाजपा के व्याप को राष्ट्रीय परिदृश्य पर देखें तो उत्तर में पंजाब और हिमाचल, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान, पूर्व में उड़ीसा और बिहार, पूर्वोत्तर में मेघालय और नगालैंड, मध्य में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और अब दक्षिण में कर्नाटक में भाजपा एवं हमारे गठबंधन की सरकारें स्पष्ट संकेत दे रहा है कि अब भाजपा भारत की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बन गई है। आज इन राज्यों में मिलाकर 200 से अधिक लोकसभा सीटों से आती हैं। और कांग्रेस तथा उसके गठबंधन की सरकारें जिन राज्यों में हैं उनमें कुल मिलाकर 125 से कम लोकसभा सीटें आती हैं। इतना ही नहीं हमने

विगत छह महीनों में अपने संगठन का विस्तार बूथ स्तर तक करने में सफलता प्राप्त की है। 60 प्रतिशत से अधिक बूथ इकाईयों का गठन हो चुका है। जबकि कांग्रेस के संगठन का विस्तार ब्लाक स्तर तक ही है। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि **राजनैतिक व संगठनात्मक दोनों दृष्टियों से कांग्रेस का देश का सबसे बड़े राजनैतिक दल होने का दावा कमजोर पड़ रहा है और भाजपा राजनैतिक और संगठनात्मक दोनों दृष्टियों से देश के सबसे बड़े राजनैतिक दल के रूप में उभर चुकी है।**

हम ऐतिहासिक दौर से गुजर रहे हैं। देश की निगाहें भाजपा नीत एनडीए पर लगी हुई है। हम सभी की अहम् भूमिका हो गई। भाजपा का राष्ट्रीय कर्तव्य बढ़ गया। हमें अपने –अपने कर्तव्यों के प्रति अपने–अपने स्थानों पर सचेत रहना होगा। हमारी तनिक सी भूल भी जनता नहीं देखना चाहती। मित्रों, हम संकल्प लें कि हम राजनीति में विश्वास की एक मजबूत कड़ी बनकर जन–जन के मन में एक नये विश्वास और उत्साह का संचार करेंगे और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे।

हमारी बैठक जयपुर में निर्धारित थी। बैठक तीन दिन की होने वाली थी। अब दो दिन की ही रखी गई है। हम सभी जानते हैं कि हमें जयपुर में होने वाली बैठक क्यों स्थगित कर दिल्ली करनी पड़ रही है। राजस्थान इस समय दोहरी मार से कराह रहा है। गुलाबी नगरी जयपुर की माटी को आतंकवादियों ने एक साथ अनेक स्थानों पर बम विस्फोट कर लहुलुहान किया। इस कार्यरतापूर्ण आतंकवादी हमले में मारे गये सभी निर्दोष नागरिकों एवं उनके परिवारजनों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इधर आरक्षण के मुद्दे को लेकर राजस्थान में जो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा की घटनायें हुई हैं उससे राजस्थान ही नहीं सारे देश की जनता आहत है। मैं राजस्थान एवं अन्य पड़ोसी राज्यों में समाज के सभी वर्गों से संयम बरतने की अपील करता हूं और इस आरक्षण आन्दोलन में मारे गए निरपराध लोगों के प्रति भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मित्रों, कांग्रेस–नीति यूपीए ने पिछले दिनों अपने चार वर्ष के कार्यकाल पर एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। हम तो यूपीए के कार्यकाल का असली रिपोर्ट कार्ड, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात और कर्नाटक की जनता के उन फैसलों को मानते हैं जो विगत एक साल के भीतर चुनाव परिणाम के रूप में सामने आये। हम इसे ही यूपीए का रिपोर्ट कार्ड मानते हैं। लोकतंत्र में जनता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट कार्ड ही असली रिपोर्ट कार्ड माना जाता है। जनता के रिपोर्ट कार्ड में कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार अंतिम वर्ष में अंतिम सांसे गिन रही है।

विगत कुछ माह

विगत तीन चार महीनों में देश में बहुत कुछ घटित हुआ है। परन्तु घटित होने की इस प्रक्रिया में घटा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बढ़ा ही है। आम आदमी की तकलीफों से लेकर बेतहाशा बढ़ती कीमतों तक, आतंकवाद से लेकर आतंकवादियों पर नरमी दिखाने की मांग तक, ऋण पर ब्याज दरों से लेकर कारोबार की समस्याओं और किसानों की निरंतर होती आत्महत्याओं तक सब कुछ एक समस्यापूर्ण ढंग से बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है।

तीन महीने पहले केन्द्र सरकार ने बजट प्रस्तुत किया। बजट का स्वरूप इतना लोकलुभावन रखा गया कि आम जनता भ्रमित होकर यह मान ले कि यह एक लोक कल्याणकारी बजट था। परन्तु वास्तविकता यह है कि यह बजट ठोस यथार्थ पर आधारित न होकर पूरी तरह से राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक भ्रामक आवरण की तरह था जिसकी वास्तविकता एक–दो महीने के अंदर ही जनता के सामने आ गयी। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने यह दावा किया था कि उन्होंने जनता की तमाम समस्याओं का समाधान बजट में प्रस्तुत किया है। बजट के तुरन्त बाद महंगाई बढ़ी, कारोबार की समस्यायें बढ़ी। आनन–फानन में लोकप्रियता हासिल करने के लिए बगैर परिपूर्ण विचार किये छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। फिर भी आम आदमी की तकलीफ बढ़ती ही चली गई। **इस सब ने आज आम आदमी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वित्त मंत्री ने यह कौन सी दवा दी है जिसे लेने पर मर्ज बढ़ता ही जा रहा है।**

मित्रों, आजकल मार्केटिंग का युग कहा जाता है। मार्केटिंग में पैकेजिंग और प्रमोशन यानी आवरण और प्रचार का अत्यधिक महत्व है। अनेक बड़ी कंपनियां और उनसे प्रेरित अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि प्रोडक्ट अर्थात् उत्पाद से भी कुछ मायनों में अधिक महत्व पैकेजिंग और प्रमोशन का होता है। **शायद हमारे वित्त मंत्री भी उसी आधुनिक मार्केटिंग मनोविज्ञान का शिकार हो गये। उन्होंने बजट की पैकेजिंग और प्रमोशन तो बहुत किया परन्तु जब प्रोडक्ट में दम नहीं था तो बाजार में प्रोडक्ट और आर्थिक व्यवस्था को विफल होना ही था।** इसलिए मेरा मानना है कि देश की जनता को यह भलीभांति समझना चाहिए कि यदि चार साल सत्ता में निरंतर रहने के बावजूद अर्थशास्त्र में निष्णात वित्त मंत्री एवं प्रधान मंत्री होने के बावजूद महंगाई अनियंत्रित और बाजार अव्यवस्थित हो तो कहीं न कहीं सरकार की मूल आर्थिक नीति अथवा सरकार के मूल आर्थिक मंतव्य में बहुत बड़ी गड़बड़ है।

महंगाई

आज निरंतर बढ़ती महंगाई आम आदमी को जिस सीमा तक परेशान कर रही है, लगता है इसका अहसास देश के वर्तमान सत्ताधारकों को बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज की यह महंगाई बहुआयामी है। मैं बहुआयामी इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि कीमतें ही नहीं बढ़ी हैं बल्कि चीजों की उपलब्धता पर भी संकट आ गया है। बाजार में खाद्यान्न और रसोई गैस जैसी दैनिक उपयोग की अनेक चीजें जो एनडीए के शासनकाल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थीं आज सिर्फ उनकी कीमतें ही नहीं बल्कि उनकी कमी भी दिखाई पड़ रही है।

इसी बीच में कुछ ऐसे बयान भी सरकार की ओर से आते हैं जो विचित्र होने के साथ–साथ कष्टकारक भी हैं। जैसे योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने यह कहा कि महंगाई के लिए विकास की बलि नहीं दी जा सकती। मैं पूछना चाहता हूं कि न सिर्फ योजना आयोग के विद्वान उपाध्यक्ष बल्कि अपने विद्वान अर्थशास्त्री वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री से कि क्या विकास आम आदमी को महंगाई के तले कुचल कर ही प्राप्त किया जा सकता है। विकास का कोई दूसरा मॉडल इन विद्वानों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या एनडीए के शासनकाल में विकास नहीं हो रहा था? और महंगाई भी नियंत्रित नहीं थी? **क्या यह वही कांग्रेस का हाथ है जो आम आदमी के साथ होने का दावा करके सत्ता में आया था** और आज आम आदमी की सामान्य आवश्यकताओं की बलि चढ़ा कर विकास के तथाकथित महल के निर्माण का दावा कर रहा है। और वह भी ऐसा विकास जो कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। **महल के लिए झोपड़ी की बलि चढ़ाने वाली इस नीति को भाजपा कतई स्वीकार नहीं करेगी।**

मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि जब एनडीए की सरकार थी तब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हमारे अधिक प्रतिकूल थी। हमने पोकरण में परमाणु विस्फोट किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पोकरण परमाणु विस्फोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए थे। उसी प्रतिबंध के समय में हमने कारगिल में प्रत्यक्ष विदेशी आक्रमण का सामना भी किया। **यानी युद्ध और प्रतिबंध दोनों का सामना करके भी हमने महंगाई को नियंत्रित भी रखा और विकास भी किया। क्या युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध से अधिक बुरी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भारत सरकार के लिए आज हैं, जिनकी दुहाई देकर सरकार महंगाई रोक सकने की अपनी अक्षमता को छुपाना चाहती हैं।**

महंगाई पर इस बैठक में एक विस्तृत प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिस पर हम कल चर्चा करेंगे। इसलिए मैं इस विषय के अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

खाद्य संकट

वह देश यहां सिन्धु और सतलज से लेकर ब्रहमपुत्र तक और नर्मदा से लेकर कावेरी तक विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ और संभवतः सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र हो उस देश में खाद्य संकट वह भी बगैर किसी सूखे, बाढ़ या प्राकृतिक आपदा के यदि उत्पन्न हो जाए तो इसे सरकार की अदूरदर्शिता और अक्षमता के अलावा और क्या नाम दिया जा सकता है।

आज बढ़ती हुई महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण सरकार के पास उपयुक्त खाद्यान्न भंडार का अभाव है। यह खाद्यान्न भंडार कोई रातोंरात कम नहीं हुआ बल्कि यह सिलसिला दो वर्षों से चल रहा है। अप्रैल 2006 से शुरू हुआ यह सिलसिला जुलाई 2007 में 5 मिलियन टन की कमी तक पहुंच गया था। इन परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने गेहूं के आयात को निजी कंपनियों के द्वारा करने का निर्णय लिया। जबकि सरकार को यह पता था कि खाद्यान्न की यह कमी कम उत्पादन की वजह से नहीं बल्कि उचित भण्डारण और उपयुक्त वितरण न हो पाने के कारण है। फिर भी सरकार ने आयात को निजी हाथों में देकर इस परिस्थिति को और बिगाड़ने का काम किया।

किसानों का पैकेज

सरकार ने बजट में दावा किया था कि किसानों के कर्ज माफ कर दिये जायेंगे। जून का अंत आते–आते कर्ज माफी का कार्य कर दिया जायेगा। आज 1 जून है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि किसानों की कर्ज माफी के कार्य में क्या प्रगति हुई है? अब तक कितने किसानों के कर्ज माफ हुए और वह किस श्रेणी के किसान थे तथा निजी साहूकारों के ऋण जाल में फंसे किसानों के लिए कितनी राहत अब तक पहुंची? बजट प्रस्तुत होने के तीन माह गुजर जाने के बाद भारत का किसान यह जानना चाहता है कि उसके बारे में बहु प्रचारित कर्ज माफी का कार्यक्रम किस गति से हो रहा है।

मेरा मानना है और मैं बार–बार यह दोहराता रहा हूं कि जब तक किसान की क्रय क्षमता, आर्थिक निवेश करने की क्षमता बढ़ाई नहीं जाएगी तब तक खेती घाटे का सौदा ही रहेगी। और किसान खेती को छोड़कर पलायन करते रहेंगे। 1990 के दशक में 1991 से 2001 के मध्य जनसंख्या विभाग के आंकड़ों के अनुसार लगभग 80 लाख लोग खेती छोड़ने पर मजबूर हुए। इन 80 लाख ने बगैर किसी वैकल्पिक रोजगार के मजबूरी में खेती को छोड़ा। यानी सिर्फ जनसंख्या वृद्धि के कारण ही नहीं बल्कि कृषि से पलायन के कारण भी बेरोजगारी बढ़ रही है।

मैंने पिछली कार्य परिषद में यह उल्लेख किया था कि भारत की 77 प्रतिशत जनसंख्या केवल 20–40 रूपए प्रतिदिन से कम की आमदनी पर गुजारा कर रही है। इसमें लगभग सभी ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लोग हैं। नेशनल सैंपल सर्वे के 59वें राउंड के आंकड़ों के अनुसार भारत के गांवों में Average monthly per captia expenditure of an Indian Farm House Hold यानी औसत आमदनी केवल 503 रूपए प्रति माह हैं जो गरीबी की रेखा से बहुत नजदीक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 503 रूपए की आमदनी में 60 प्रतिशत तो केवल भोजन पर व्यय हो जाता है तो शेष खर्चों के लिए एक गरीब किसान के लिए क्या बचता होगा। खाद्यान की कीमतें बढ़ने की कितनी गहरी मार इन लोगों पर पड़ी है इसका अनुमान भी लगाना कठिन है। विचार करिए, आजादी के 61 साल बाद भी देश की आबादी के इतने बड़े हिस्से के लिए आजादी के क्या मायने हैं।

सरकार किसानों के लिए आधी–अधूरी कर्ज माफी की घोषणा करती है पर क्या केवल कर्ज माफी से खेती छोड़ चुके किसानों को कोई लाभ होगा। कृषि व्यवस्था के सुधार के लिए सरकार को ठोस उपाय करने होंगे।

सरकार ने इस बजट में किसानों की क्रय क्षमता, उनकी एक निश्चित आमदनी और उनकी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का कोई भी उपाय नहीं किया। ऐसी परिस्थितियों में किसानों को कोई ठोस और स्थाई लाभ नहीं हो सकता।

यह बात मैं केवल राजनैतिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं बल्कि ठोस तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। सरकार ने विदर्भ क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की। पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री की तरफ से पैकेज की घोषणा हुई। फिर भी सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों पैकेजों के बाद भी किसान आत्महत्या के मामले बढ़ते चले गए। **सीएजी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि किसान आत्महत्या के मामले कर्ज माफी के बाद भी बढ़ते गये। विदर्भ क्षेत्र के उस बहुप्रचारित कर्ज माफी की**

वास्तविक तस्वीर महालेखाकार एवं अर्थ नियंत्रक की रिपोर्ट में दिखाई पड़ती है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि कृषि की समस्या पर विचार बहुत गहराई और व्यापक आयामों पर किया जाना चाहिए। केवल तात्कालिक समाधानों से कोई राहत मिलने वाली नहीं।

नेशनल सैंपल सर्वे और सीएजी की रिपोर्ट तथा सहज रूप में दिखाई दे रही किसानों की दुर्दशा और निरंतर बढ़ती आत्महत्या की घटनायें, जिनमें कृषि मंत्री ने संसद में यह स्वीकार किया है कि पिछले कुछ वर्षों में डेढ़ लाख किसानों ने आत्महत्या की है। क्या यह सब सरकार को इतना भी सोचने पर बाध्य नहीं कर सकता कि संसद का एक विशेष सत्र सिर्फ किसानों की और कृषि समस्या (Agrarian crisis) पर विचार करने के लिए बुलाया जाय। हमने यह मांग पिछली कार्य परिषद में उठाई थी। सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या जिस विषय से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी हुई हो। जिसके चलते उत्पन्न खाद्यान्न संकट हर आदमी को प्रभावित कर रहा हो उस पर चर्चा करने के लिए क्या सात दिन का समय संसद नहीं निकाल सकती। यह एक दुखद विडंबना है।

सरकार की इस असंवेदनशीलता से मुझे व्यक्तिगत रूप से भी कष्ट हुआ है। मैं देश के सभी राजनैतिक दलों से यह आह्वान करता हूं कि वे सभी सामूहिक रूप से यूपीए सरकार पर यह दबाव बनायें कि कृषि समस्या पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाय जिसमें सरकार कृषि और खाद्यान्न संकट के समाधान के लिए कम से कम 10 वर्ष की अपनी दीर्घकालिक योजना लेकर आये। इस पर संसद में चर्चा हो और इसके अंतिम निष्कर्ष को गांव, गरीब और किसान के लिए संसद का संकल्प माना जाए।

वास्तविकता में सरकार की नीति निर्धारण में कृषि प्राथमिक विषय है ही नहीं बल्कि उसे दोयम दर्जे का विषय बना कर रखा गया है। किसानों और कृषि को दोयम दर्जे पर रखने का चलन अंग्रेजों के काल से शुरू हुआ था, वही आज भी जारी है। यह भारत के आर्थिक और सामाजिक पक्ष को ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व के पक्ष को भी नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है।

यह मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। किसान आयोग के अध्यक्ष और कृषि क्षेत्र के प्रख्यात विद्वान डा0 एम.एस. स्वामीनाथन ने भी यह कहा है कि **विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में कृषि को सिर्फ खाद्यान्न उपजाने की मशीन नहीं माना जा सकता वरन् यह तकरीबन तीन–चौथाई आबादी की आजीविका की रीढ़ है।** खेतीबाड़ी छोड़ने की सलाह देने वाले लोग इस भयावह सच्चाई को नजन्दाज कर रहे है कि ऐसा करने पर तकरीबन 50 करोड़ लोग भूमिहीन मजदूरों और बेरोजगारों की सूची में जुड़ जायेंगे।

कृषि के विषय की गंभीरता सिर्फ विद्वानों ने नहीं बल्कि युगदृष्टा महापुरूषों ने भी समझी है। आधुनिक युग के महान भविष्यद्रष्टा महर्षि अरविन्द ने मार्च 1908 में वन्दे मातरम में लिखे अपने एक लेख में लिखा है– "The life of a nation is always rooted in its villages but that of India is so deeply and persistently rooted there, that no change or revolution can ever substitute for this source of sap and life. The Western system makes the city centre and the village a mere feeder of the city.

This has been perhaps an obstacle to national unity but it has also been an assurance of national persistence. It is an ascertained principle of national existence that only by keeping possession of the soil can a nation persist."

अन्न के बिना जीवन सम्भव नहीं और भूमि के बिना राष्ट्र का अस्तित्व नहीं है। अतः राष्ट्र जीवन की जीवन्तता के सतत प्रतीक कृषि और ग्राम को साथ लिए बगैर राष्ट्रनिर्माण का संकल्प एक छलावा है। जो वर्तमान यूपीए सरकार गांव, गरीब और किसान के साथ कर रही है। यदि केन्द्र में हमें अवसर मिला तो हम कृषि और ग्राम दोनों का पुर्नउद्धार और फिर पुर्नप्रतिष्ठा करेंगे।

छठा वेतन आयोग

सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि 31 मार्च तक सरकारी कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की घोषणा कर दी जायेगी। मित्रों, छठा वेतन आयोग आया परन्तु आज इस वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर जितना असंतोष और प्रतिक्रियायें सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों में हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।

सैन्य बलों और अर्धसैनिक बलों के के अधिकारियों, कर्मचारियों और सिपाहियों ने इस विषय पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। संभवतः भारत के इतिहास में पहली बार सुरक्षा बलों के सेवानिवृत्त जवानों और अधिकारियों को बाध्य होकर सरकार के विरूद्ध धरना प्रदर्शन करना पड़ा। एक पूर्व सेना अध्यक्ष ने सरकार को पत्र भी लिखा। सरकार ने इन प्रतिक्रियाओं से निपटने के लिए सचिव स्तर की एक पुनर्वीक्षा समिति (रिव्यू कमेटी) गठित की है। चूंकि सैन्य बलों की शिकायत अफसरशाही से है अतः मुझे इसमें संदेह है कि सचिवों की समिति से कोई सहज और स्वीकार्य समाधान निकल पायेगा। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि रिव्यू कमेटी की सिफारिशों की समीक्षा मंत्रियों की एक समिति द्वारा करने के बाद ही उस पर सरकार अंतिम निर्णय लें और बेहतर होगा कि कमेटी में सुरक्षा बलों का कोई एक प्रतिनिधि रहे। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यदि सरकार ने आई.ए.एस. संवर्ग को संयुक्त सचिव स्तर तक समयबद्ध पदोन्नति प्रदान करने की सिफारिश की है, ऐसी ही व्यवस्था सुरक्षा बलों के लिए भी होनी चाहिए। सुरक्षा बलों के सभी जवानों और अधिकारियों को सुरक्षा बल छोड़ने के बाद कम से कम 60 वर्ष तक दूसरी नौकरी सुनिश्चित (Assured Second Career) करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि सेना में काम करना केवल एक व्यवसाय नहीं है बल्कि देश के लिए मर मिटने के एक जज्बे का प्रतीक है और किसी भी व्यवसाय में सीधे अपनी जान की बाजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे तो जान की बाजी लगाने की कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती परन्तु यदि सरकार इन जांबाजों को वेतन के मामले में संतुष्ट न कर पाये तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आज देश में जिस प्रकार का आंतरिक और वाह्य सुरक्षा का वातावरण है उसमें सेना और अन्य सुरक्षा बलों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में इनके मनोबल पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए यह भाजपा का स्पष्ट मानना है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार इस विषय पर विशेष ध्यान दें। इसके अतिरिक्त शिक्षक वर्ग और कई अन्य संवर्गों में भी व्यापक असंतोष है। सरकार को उनकी आपतियों के निराकरण की भी व्यवस्था करनी चाहिए।

मैंने दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद अधिवेशन में अपने भाषण में सरकार से यह मांग की थी कि वेतनभोगी कर्मचारी वर्ग को ध्यान में रख कर आयकर की सीमा बढ़ाकर कम से कम डेढ़ लाख की जाय। सरकार को बजट में यह प्रावधान करना पड़ा। परन्तु साथ ही हमने कर्मचारी भविष्य निधि में ब्याज की दर को बढ़ाने की मांग भी की थी। परन्तु सरकार ने इस विषय में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया।

मेरी सरकार से यह मांग है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में सरकारी कर्मचारी वर्ग के सभी संवर्गों के हितों के अनुरूप बेहतर संतुलन बनाया जाय।

आतंकवाद

आतंकवाद के विषय पर भारतीय जनता पार्टी सदैव से साफ और सख्त रवैये की पक्षधर रही है। परन्तु केन्द्र में आने के बाद यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस अहम विषय को भी वोट की राजनीति के नजरिये से देखना शुरू कर दिया। बिल्कुल अकारण और नितांत गलत तरीके से आतंकवाद के विरूद्ध हो रही कार्यवाहियों को अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम समुदाय के विरूद्ध हो रहे कार्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। इसीलिए इस सरकार ने सत्ता संभालने के बाद जो कार्य सबसे पहले किए उनमें आतंकवाद विरोधी कानून पोटा को हटाना सबसे प्रमुख था। सरकार को लगा कि ऐसा करके वह एक समुदाय विशेष की सहानुभूति पाने में सफल होगी। कांग्रेस ने ऐसा पहली बार नहीं किया। इससे पूर्व भी कांग्रेस की सरकार ने ही आतंकवाद विरोधी कानून टाडा की भी ऐसे ही कारणों से आलोचना की थी। भाजपा ने विगत चार वर्षों से लगातार सरकार के इस कदम का विरोध किया।

अभी हाल ही में अमेरिका के विदेश विभाग ने संसार के तमाम राष्ट्रों ने आतंकवाद की स्थिति पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत पूरी दुनिया में आतंकवाद से सर्वाधिक पीड़ित देशों में से एक है। केवल वर्ष 2007 में पूरे विश्व में 22000 लोग आतंकवाद के शिकार हुए। परन्तु अकेले भारत में आतंकवाद से 2300 से अधिक जानें गई हैं। **मामला सिर्फ रिपोर्ट में आतंकवाद से सर्वाधिक पीड़ित होने का ही नहीं है। रिपोर्ट में इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए यह कहा गया है कि भारत में Law enforcement machinery बहुत ill-equipped है तथा यहां पर slow and laborious legal system है।** अर्थात् भारत में कानून को लागू करने वाली मशीनरी आवश्यक कानूनों से लैस नहीं है तथा यहां की न्यायिक प्रक्रिया बहुत धीमी और लचर है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी जब साफ–साफ यह संकेत दे रही हैं कि भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्थायें नहीं हैं तो क्या भारत सरकार को इसके लिए अब भी विशेष व्यवस्था बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती।

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालकृष्णन ने भी दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में चर्चा करते हुए कहा कि यद्यपि यह विषय उनका नहीं है फिर भी वे भारत में एक कड़े आतंकवाद विरोधी कानून को आज की परिस्थितियों में आवश्यक मानते हैं।

पिछले चार वर्षों में भारत के सभी प्रमुख नगर और सभी प्रमुख केन्द्र आतंकवाद के शिकार हुए। अब तो देश के अंदरूनी हिस्सों में आतंकवादी निरंतर अपने पैर जमाते जा रहे हैं। 6 महीने पूर्व उत्तर प्रदेश में लखनऊ, फैजाबाद और बनारस में बम विस्फोट और जनवरी में रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर हमले के बाद विगत 13 मई को कानून व्यवस्था की दृष्टि से बेहद शांत माने जाने वाले राजस्थान की राजधानी जयपुर में सिलसिलेवार बम धमाके हुए जिसमें 60 से अधिक लोगों की जानें गईं और 200 से अधिक घायल हुए। यह एक निहायत कायरतापूर्ण कार्य था जिसकी कठोर भर्त्सना भाजपा ने की है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में इन्दौर में भी प्रतिबंधित संगठन सिमी के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये जो एक बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहते थे। यह सब एक संकेत दे रहा है कि आतंकवाद भारत के अंदरूनी हिस्सों में किस तरह अपनी जड़ें जमाता चला जा रहा है। आतंकवाद एक बहुत पेचीदा राष्ट्रीय समस्या है जिसे कानून व्यवस्था का प्रश्न बनाकर राज्य सरकारों की तरफ नहीं धकेला जा सकता। केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभाओं द्वारा पारित संगठित अपराधों के विरूद्ध अधिनियम अभी तक लम्बित रखा है। मैं केन्द्र सरकार से पुछना चाहता हूं कि इसके पिछे उनकी मंशा क्या है। यदि वो इमानदारी से आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में राज्य सरकारों का साथ देना चाहते हैं तो तत्काल इन कानूनों को अनुमोदित किया जाना चाहिए। पिछले कई महीनों में सरकारी पक्ष से यह कहा गया कि भारत का शेयर बाजार और भारत के परमाणु ठिकाने भी आतंकवादी घुसपैठ और हमलों के साये में हैं। क्या यह सब किसी एक राज्य या राज्यों की सामान्य कानून व्यवस्था का विषय हो सकता है? यह एक राष्ट्रीय समस्या है और केन्द्र सरकार इससे निपटने में पूरी तरह विफल रही है।

यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि भारत में एक प्रभावी एवं कड़े आतंकवाद विरोधी कानून की आवश्यकता है। हमने पहले भी यह बात कही है कि सरकार यदि किसी भी प्रकार का आतंकवाद विरोधी कानून संसद में लायें तो हम उसका समर्थन करेंगे। **आज देश के अन्दर से लेकर बाहर तक पूरी तरह से बेनकाब होने के बाद भी सरकार यदि किसी आतंकवाद विरोधी कानून की जरूरत को महसूस नहीं करती तो इसे सरकार की नासमझी नहीं बल्कि बदनीयती के रूप में देखा जाना चाहिए।** देश की जनता देश के आम नागरिकों की सुरक्षा के साथ की जा रही इस बदनीयती को बर्दाश्त नहीं करेगी और आगामी चुनाव में यूपीए सरकार को इसका माकूल जवाब देगी।

आतंकवाद के प्रति यूपीए सरकार का दृष्टिकोण क्या है इसके लिए सरकार के दो शीर्षस्थ व्यक्तियों के उदाहरण मैं देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री महोदय ने लंदन में हीथ्रो हवाई अड्डे पर हमले की साजिश के आरोप में आस्ट्रेलिया में गिरफ्तार डा0 मोहम्मद हनीफ के प्रति सहानुभूति इस सीमा तक व्यक्त कर डाली की उन्हें हनीफ की चिंता में रात भर नींद नहीं आई। जयपुर में हुए आतंकवादी हमले में 60 से अधिक लोग मारे गये और सैकड़ों घायल हुए। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस घटना पर उनके मन में कैसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई? उन्होंने कितनी बेचैनी महसूस की? **आतंकवाद के पीड़ितों और आतंकवाद से लोहा**

लेने वाले सुरक्षा बल के जवानों की मौत पर सरकार को उससे कहीं अधिक संवेदनशील होना चाहिए जितनी कि सरकार आतंकवाद के आरोप में केवल किसी व्यक्ति से हो रही पूछताछ पर संवेदनशील हो जाती है।

दूसरा उदाहरण सरकार के गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने दिया जब उन्होंने अफजल और सरबजीत की फांसी की सजा की तुलना कर दी। **गृह मंत्री का यह बयान एक देशभक्त निर्दोष नागरिक और एक देश की सर्वोच्च संस्था पर हमले के लिए दोषी सिद्ध हो चुके आतंकवादी की तुलना करने का ऐसा कार्य है जिसकी हम भर्त्सना करते हैं।** सरबजीत की पत्नी श्रीमती सुखप्रीत कौर का जो बयान मीडिया में प्रकाशित हुआ उसमें उन्होंने साफ–साफ कहा कि "वे तथा उनकी बेटियां पाकिस्तान के किसी आतंकवादी के बदले सरबजीत की रिहाई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम देश भक्त हैं और देश से ऊपर कुछ भी नहीं।" परन्तु इस सरकार को देश से ऊपर एक चीज दिखाई पड़ती है और वह वोट बैंक की राजनीति।

उल्लेखनीय बात है कि पिछले दिनों मुस्लिम समुदाय के प्रतिष्ठित धार्मिक केन्द्र दारूल–उलूम देवबंद ने फतवा जारी करके यह कहा कि आतंकवाद में निर्दोष नागरिकों की जान लेना एक गैर–इस्लामी कार्य है। इसका मैं स्वागत करता हूं। देवबंद मुसलमानों को आतंकवाद से अलग करके देख रहा है। परन्तु केन्द्र सरकार मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़कर रखना चाहती है और इसी आधार पर आतंकवाद विरोधी कानून को नकारती रहती है। **शायद केन्द्र सरकार अपने आपको मदरसों से भी बड़ा मुसलमानों का हिमायती सिद्ध करना चाहती है।**

मित्रों, जिस सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद पर ऐसा दृष्टिकोण हो उसके शासनकाल में आतंकवाद पर नियंत्रण असंभव है।

मैं देश की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि देश की जनता ने केन्द्र में भाजपा नेतृत्व की एनडीए सरकार को जनादेश दिया तो हम आतंकवाद पर नियंत्रण पाने के लिए एक कड़ा कानून लायेंगे और भारत की धरती पर आतंकवादियों के हौसले पस्त कर देंगे।

प्रधानमंत्री महोदय ने यह माना है कि आतंकवाद एक राष्ट्रीय समस्या है और इसे केवल राज्यों के स्तर पर नहीं निपटा जा सकता। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के लिए अलग से एक संघीय जांच होनी चाहिए। **मुझे आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री महोदय को संघीय जांच एजेंसी की आवश्यकता महसूस होती है परन्तु संघीय कानून की आवश्यकता महसूस नहीं होती। यानि फौज की जरूरत है पर फौज को हथियार देने की जरूरत नहीं।**

बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या

जयपुर में हाल में हुए बम विस्फोटों में एक बार फिर बांग्ला देश से कार्य करने वाले आतंकवादी संगठनों का हाथ होने की खबर आ रही है। इससे पूर्व भी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, फैजाबाद और बनारस के न्यायालय परिसरों में हुए बम विस्फोटों में बांग्ला देशी संगठनों के हाथ होने के प्रमाण मिले थे। आज पूरे देश में जिस प्रकार बांग्ला देश से आए हुए लोग अनाधिकृत तरिके से रह रहे हैं, यह कोई सामान्य समस्या नहीं है। आई एम डी टी एक्ट के विषय पर निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि असम में बांग्ला देशियों के घुसपैठ कोई सामान्य समस्या नहीं बल्कि यह देश पर विदेशी आक्रमण के समकक्ष समस्या है। आई.एम.डी.टी. एक्ट को निरस्त करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी, 2006 की केन्द्र की अधिसूचना को दिसम्बर 2006 में निरस्त करते हुए केन्द्र सरकार की घुसपैठियों को बाहर निकालने की मंशा पर ही सवाल उठाया। "There is a lack of will (on the part of the Centre) in the matter of ensuring that illegal migrants are sent out of the country." न्यायालय ने आगे कहा कि समान्यतः वे राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर टिप्पणी करने से बचते हैं परन्तु 2005 के आई. एम.डी.टी. एक्ट को निरस्त करने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की जो मूल भावना थी उस पर वास्तविक कार्यवाही अभी नहीं हुई है। "Though we would normally desist from commenting,

when the security of the nation is the issue as highlighted in the 2005 judgment, we have to say that the bona fide of the action leaves something to be desired,"

आज जब देश के अन्दर सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि अन्दरूनी क्षेत्रों और हिन्दी भाषी क्षेत्रों के अन्दर भी जगह–जगह आतंकवादी आक्रमण हो रहे हैं और उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों के हाथ होने के प्रमाण मिल रहे हैं, क्या इसके बाद भी केन्द्र सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की कोई प्रभावी योजना आवश्यक नहीं महसूस होता। भारत सरकार को अवैध रूप से रह रहे सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने का प्रयास करना चाहिए। देश की आम जनता की जान और माल की सुरक्षा की कीमत पर वोट बैंक की राजनीति भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

आज बांग्लादेशी घुसपैठी की समस्या पूरे देश में फैलकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन गई है। भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता था कि हम साम्प्रदायिक कारणों से बांग्लादेशी घुसपैठ का विरोध करते हैं। पर हमारा कहना था कि हम राष्ट्रवादी कारणों से इसका विरोध करते हैं। आज की परिस्थितियां हमारे पक्ष को सिद्ध कर रही हैं। आज इस गंभीर समस्या पर देश के सभी राजनैतिक दलों को दलगत भावना से ऊपर उठ कर विचार करना चाहिए। मासूम और निर्दोष नागरिकों की जान से बढ़ कर वोट बैंक की राजनीति नहीं हो सकती।

मैं देश के सभी राजनैतिक दलों से यह आग्रह करता हूं कि वे सर्वोच्च न्यायालय (आईएमडीटी एक्ट पर निर्णय) के विचारों के संदर्भ में खुले मस्तिष्क से बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या पर अपने–अपने दलों की नीति पर पुनर्विचार करें, और प्रधानमंत्री महोदय एक बैठक बुलाएं जिसमें सारे दल मिलकर इस विषय पर एक राष्ट्रीय नीति बनायें। राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति का विषय नहीं हो सकती।

कांग्रेस के सहयोगी दलों की राष्ट्रविरोधी मांगे

राजनीति में अपने वोट बैंक को बचाने और बढ़ाने के लिए अनेक बार राजनैतिक दल कई अजीब–अजीब प्रकार की मांगे करते हैं। इन मांगों से कई बार सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। परन्तु पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस के सहयोगी दलों ने कुछ ऐसी मांगे की हैं जिनसे देश की स्वायत्ता, संप्रभुता और सुरक्षा पर सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

पहली घातक मांग कांग्रेस की सहयोगी पार्टी पीडीपी के नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने काश्मीर में पाकिस्तानी मुद्रा के प्रचलन की मांग उठा दी थी। प्रबल विरोध के चलते सरकार को इससे पीछे हटना पड़ा।

दूसरी घातक मांग वामपंथी दलों ने सरकार से की जब उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सली आन्दोलन के विरूद्ध ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के निरीह नागरिकों के सशक्तीकरण के लिए चलाये जा रहे सलवा जुडूम आन्दोलन को समाप्त करने की मांग उठाई। जबकि उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने जब छत्तीसगढ़ का दौरा किया तो उन्होंने नक्सलवाद के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना की।

उल्लेखनीय बात यह है कि नक्सलियों के विरूद्ध आदिवासियों के सलवा जुडूम आन्दोलन को समाप्त करने की मांग वे वामपंथी कर रहे हैं जिन्होंने अपने राज्य में सिंगूर और नंदीग्राम में बेबस मजदूर और किसानों पर अत्याचार किए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के दौरान जितनी व्यापक हिंसा की वारदातें हुई उसमें सीपीएम कार्यकर्ताओं की जो भूमिका रही वह सर्वथा निन्दनीय है, इसमें भाजपा और अन्य राजनैतिक दलों के कई कार्यकर्ता घायल हुए और हमारे एक कार्यकर्ता की मृत्यु भी हुई। हम उन सबके लिए अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।

मैं स्वयं सिंगूर गया था। नंदीग्राम में आडवाणी जी के नेतृत्व में एनडीए का प्रतिनिधिमंडल गया था। वहां सरकार द्वारा सत्ता की ताकत का प्रयोग करके जिस प्रकार से स्थानीय लोगों को आतंकित किया गया, सरकार के संरक्षण में जिस प्रकार प्रायोजित हिंसा हुई उन चीजों का आभास मुझे भी हुआ। सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं केरल के कून्नूर में जिस प्रकार से वामपंथियों ने हिंसा का प्रयोग किया वह उनके अलोकतांत्रिक और हिंसात्मक स्वरूप को उजागर करता है।

वामपंथी सदैव से सैद्धांतिक रूप से हिंसा और प्रतिक्रिया के पक्षधर रहे हैं। हाल के पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में माकपा के जनाधार में जो कमी आई है वह उल्लेखनीय है। वे 20 से 30 प्रतिशत तक ग्राम पंचायतें पहले की तुलना में हारे हैं। यह पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के जनाधार कमजोर होने की शुरूआत का एक लक्षण है।

पड़ोसी देश और विदेश नीति

केन्द्र में यूपीए गठबंधन की सरकार आने के बाद भारत की सामान्य विदेश नीति किस प्रकार लचर साबित हुई है यह सारा देश विगत चार वर्षों में अनुभव कर चुका है। हमारे पुराने और घनिष्ठ सहयोगी रहे रूस के साथ हमारे संबंधों में अब वह गरमाहट नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अमरीका के साथ सारे संबंधों को केवल एक मुद्दे परमाणु समझौते पर केन्द्रित कर दिया गया और उस पर भी सरकार न तो कोई निर्णय कर पाई और न हमारे द्वारा उठाई गई शंकाओं का समाधान देश की जनता के सामने रख पाई। ईरान के मुद्दे पर सरकार की नीतियों पर उत्पन्न विचित्र परिस्थिति से हम सभी वाकिफ हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर विगत चार वर्षों में कोई प्रगति नहीं हुई है।

इससे भी अधिक चिंताजनक स्थिति हमारे पड़ौसी देशों के साथ विदेश नीति के मामले में दिखाई पड़ी। अफगानिस्तान में आये दिन वहां काम करने गये भारतीयों के अपहरण की घटनाएं होती हैं और कई नागरिकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी परन्तु भारत सरकार कुछ भी उपाय करने में नाकाम रही। पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद भी परिस्थितियों में कोई सुधार दिखाई नहीं पड़ रहा है। नेपाल में नई सरकार बनने के बाद जो तेवर दिखाये हैं उससे भारत के साथ सदियों पुराने घनिष्ठ संबंधों पर प्रश्नचिह्न लगता दिखता है। तिब्बत के मुद्दे पर भारत सरकार का रवैया कतई संतोषजनक नहीं रहा है। इन विषयों पर हम आज ही एक विस्तृत प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे।

लगभग एक वर्ष से अरूणाचल पर चीन का रवैया सौहार्द्रपूर्ण संबंधों के सर्वथा विपरीत रहा। और अभी कुछ दिन पूर्व तो चीन ने सिक्किम के एक क्षेत्र पर भी अपना दावा कर दिया, जिस पर किसी प्रकार का सीमा विवाद नहीं था। सरकार इस विषय पर स्थिति को देश के सामने स्पष्ट करें।

ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार या तो राष्ट्रीय सुरक्षा के इस संवेदनशील विषय पर गंभीर नहीं है अथवा वह अपनी सरकार के सहयोगी वामपंथी दलों के दबाव में चीन की हर प्रकार की गतिविधियों को नजरन्दाज करती जा रही है, इसे क्या माना जाए। **मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि चीन ने हाल के महीनों में जो तेवर दिखाए हैं ऐसा वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे कहीं न कहीं इस बात पर आश्वस्त हैं कि सरकार के सहयोगी दल वामपंथी दल चीन के अनुचित दबाव के बावजूद चीन के विरूद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं होने देंगे।**

श्री राम सेतु

मित्रों, पिछले तीन–चार महीनों में तीन ऐसी घटनायें हुई हैं जिन्होंने राम सेतु के इस विषय पर सरकार को शर्म से पानी–पानी होने पर मजबूर कर दिया है। पहली घटना कई महीने पहले हुई जब हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की सरकार ने बकायदा आधिकारिक रूप से रामायण और रामायण से जुड़े श्रीलंका के सभी स्थलों को ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक माना और धार्मिक दृष्टि से श्रद्धेय माना। दूसरी घटना यह हुई कि सरकार के सहयोगी दल के जो मंत्री इस परियोजना में अत्यधिक उत्साह दिखा रहे थे उनके वास्तविक उद्देश्य क्या थे और वह पद का कैसा दुरूपयोग अपने व्यावसायिक हितों के लिए कर रहे थे, वह बेनकाब हुआ। तीसरी घटना अभी कुछ ही दिन पूर्व हुई जब न्यायालय ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह

सेतु समुद्रम परियोजना के लिए वैकल्पिक रास्ते को खोजें और श्रीराम सेतु की जांच करायें कि यह मानव निर्मित है अथवा प्राकृतिक और इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जा सकता है अथवा नहीं। क्या इस पर सरकार की कोई कार्ययोजना है।

रामसेतु का विषय एक अन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सेतु समुद्रम परियोजना के द्वारा भारत की समुद्री सीमा के दो महासागरों को मिलाने का जो प्रस्ताव है उसके बाद उस क्षेत्र में बड़े–बड़े जहाजों का आवागमन आसान हो जायेगा परन्तु उसी के साथ जंगी बेड़ों का आवागमन भी क्या रोका जा सकेगा। क्या इस संदर्भ में सरकार ने नौसेना का कोई अभिमत लिया है।

न्यायालय से फटकार खाने के कीर्तिमान

अभी 15–20 दिन पूर्व न्यायालय ने केन्द्र सरकार को सच्चर कमेटी के गठन के आधार को लेकर कटघरे में खड़ा किया। मैंने पहले भी यह कहा है कि अंग्रेजों के समय के कम्युनल अवार्ड की तर्ज पर वर्तमान यूपीए सरकार ने जो समाज के अंदर मजहबी भेदभाव के बीज बोए हैं उनमें से एक सच्चर कमेटी भी है। हम शुरू से ही इसका विरोध करते रहे हैं। न्यायालय ने एक प्रकार से केन्द्र सरकार को फटकारते हुए यह कहा है कि किसी समुदाय विशेष को केन्द्रित करके कोई सर्वेक्षण कैसे किया गया और इसका निर्णय सरकार ने किस आधार पर किया।

सच्चर कमेटी की संस्तुतियों के जो विवरण उपलब्ध हुए हैं उनसे तो और भी रोचक तथ्य सामने आये हैं कि सच्चर कमेटी के कुछ सदस्यों ने कमेटी के टर्म्स और रेफरेंसेंज से बाहर जाकर कार्य किया। यहां तक कि उन्होंने चुनाव क्षेत्रों के ऐसे परिसीमन का सुझाव भी दे डाला जिसके द्वारा किसी भी जिले की सारी मुस्लिम जनसंख्या को एक चुनाव क्षेत्र में लाया जा सके। और उन्होंने यहां तक कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित उन सभी लोकसभा क्षेत्रों को जिनमें मुसलमानों की जनसंख्या 19 प्रतिशत से अधिक है उन्हें अनारक्षित कर दिया जाए और भविष्य में कभी भी उन्हें आरक्षित न किया जाय। इसी क्रम में सच्चर कमेटी ने उत्तर प्रदेश और बिहार की 23–23 और पश्चिम बंगाल की 17 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधान सभा क्षेत्रों को अनारक्षित करने की अनुशंसा भी कर डाली। **क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण एवं चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन पर टिप्पणी सच्चर कमेटी के अधिकार क्षेत्र में था? ये सब ऐसे कार्य हैं जो हमें स्वतंत्रता से पूर्व की उन राजनैतिक गतिविधियों का स्मरण दिलाते हैं जिन्होंने देश के विभाजन की नींव रखी।**

यानी सच्चर कमेटी बनाने का पूरा का पूरा आधार गैर कानूनी होता दिखाई पड़ रहा है। हम बहुत पहले से यह कहते रहे हैं कि सच्चर कमेटी संविधान की मूल भावना के विपरीत हैं।

केन्द्र सरकार को न्यायालय द्वारा अपनी संवैधानिक सीमा का अतिक्रमण करने का अहसास कराया जाना या आम आदमी की भाषा में कहें तो न्यायालय द्वारा फटकार सुनने का यह कोई पहला मौका नहीं है।

इससे पहले झारखंड में विधान सभा चुनावों के तत्काल बाद राज्यपाल के पद का दुरूपयोग करते हुए जनादेश के अपहरण करने का प्रयास हो या बिहार में एक बहुमत रखने वाली सरकार को सत्ता में आने से रोकने का प्रयास। आन्ध्र प्रदेश में मुसलमानों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का प्रयास हो या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रयास हो, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक्ट में संशोधन का विषय हो, अथवा सेतु समुद्रम परियोजना के वैकल्पिक मार्ग को चुनने का विषय हो। केन्द्र की वर्तमान यूपीए सरकार ने न्यायालय से अनेक बार डांट खाई है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि एक अनुशासनहीन व्यक्ति की तरह सरकार इसकी अभ्यस्त हो गई है।

"धर्मनिरपेक्ष" शब्द के संवैधानिक प्रयोग पर रोक लगाई जाय

मित्रों, नवंबर 1949 में जब भारत का संविधान बन कर तैयार हुआ तो संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में मूल रूप से भारत को एक Sovereign, Democratic, Republic यानी सम्प्रभुता–संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य माना गया। संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में आदरणीय डा0

भीमराव अम्बेडकर कहा था कि इसे संविधान की आत्मा समझा जाय और यदि किसी अनुच्छेद को लेकर कोई भ्रम हो तो उसे संविधान की प्रस्तावना की परिप्रेक्ष्य में देख कर निर्णय लिया जाय। अतः कायदे से तो संविधान की प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह स्वतंत्रता के समय भारत के मूल चरित्र के विषय में सारे भारत की जनता के मनोभावों की अभिव्यक्ति थी। परन्तु फिर भी 1970 के दशक में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की मूल प्रस्तावना में Secular and Socialist शब्द जोड़ दिया गया। और उसके बाद भारत के संविधान का Preamble बदल कर Sovereign, Secular, Socialist, Democratic Republic हो गया। उसके बाद से इस Secular शब्द को लेकर व्यापक राजनीति की गई और इसे धर्मनिरपेक्षता के रूप में प्रचारित किया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि Secular शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्षता कदापि नहीं होता। न तकनीकी दृष्टि से और न राजनैतिक दृष्टि से। **भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने भी संविधान की प्रस्तावना का जो हिन्दी अनुवाद आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया है, जो सार्वजनिक है उसमें भी सेक्युलर शब्द का अर्थ पंथनिरपेक्षता लिया गया है।**

मित्रों, धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष होने में बहुत बड़ा अंतर है। पंथ किसी विशेष आस्था, किसी विशेष विश्वास, किसी विशेष पूजा पद्धति, ईश्वर के किसी विशेष स्वरूप के प्रति समर्पित होने का प्रतीक है। और धर्म शाश्वत और सनातन जीवन मूल्यों का प्रतीक है। जो प्रकृति के नियमों की भांति कभी बदलते नहीं हैं। सामन्य उदाहरण के रूप में कहें तो धर्म धरती या भूमि के समान है और पंथ उस पर बने हुए रास्तों के समान है। हम अपने मन से किसी भी रास्ते को चुन सकते हैं, एक रास्ते से अलग होकर दूसरे रास्ते पर जा सकते हैं, रास्तों के बारे में अलग–अलग विचार रख सकते हैं परन्तु हम धरती से अलग कैसे हो सकते हैं।

भारत एक धर्मप्राण देश है। इसका प्रमाण सूदूर उत्तर में अमरनाथ से लेकर सूदूर दक्षिण में शबरामलाई मंदिर तक और हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग के अनवरत चलने वाले कुंभ मेलों द्वारा सतत् देखने को मिलता है। भारत का राजकीय चिह्न जिसमें तीन सिंह बने हैं जिसके नीचे मुण्डकोपनिषद का सनातन उद्घोष 'सत्यमेव जयते' लिखा है। 'सत्य' धर्म का प्रतीक है, किसी पंथ का नहीं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक का चक्र बना है। सारनाथ में मूल रूप से पाया गया यह चक्र धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। भारत की संसद में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पीछे भी लिखा है 'धर्मचक्र प्रवर्तनायः'। **अर्थात जब भारत के राजकीय चिह्न, राष्ट्रध्वज और संसदीय पीठ पर यदि धर्म विद्यमान है तो भारत की व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष बन कर कैसे चल सकती है।**

शायद इसी भाव को समझ कर संविधान में भी पंथनिरपेक्ष शब्द लिखा गया है। पंथनिरपेक्ष के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग न सिर्फ गलत है, न सिर्फ असंवैधानिक है, न सिर्फ भारत के सभी राजकीय प्रतीकों के विरूद्ध है, बल्कि भारत के वास्तविक स्वरूप और चिरंतन आधार का अपमान भी है। इस दुरूपयोग ने भारत की राजनीति को जितना दूषित किया है, जनता में जितना भ्रम उत्पन्न किया है, देश की परंपरा और अस्मिता को जितना आहत किया है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। भारत सदैव से एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है। यहां पर शैव, वैष्णव, शाक्त से लेकर जैन, बौद्ध और सिख तक अनेक पंथ फलते–फूलते रहे। कभी किसी के साथ इतिहास के किसी कालखंड में भेदभाव नहीं हुआ। परन्तु भारत न कभी धर्मनिरपेक्ष था, न धर्मनिरपेक्ष है और जब तक इसका अस्तित्व रहेगा यह न कभी धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। वस्तुतः भारत एक धर्मप्राण देश है और इसे धर्मनिरपेक्ष कहना इस देश के वास्तविक स्वरूप का उपहास करना है। **धर्मप्राण देश से धर्मनिरपेक्ष बनने का भाव ही इस देश को जीवंत से मृत बनाने का एक कुप्रयास है। गुलामी की इस मानसिकता से अब कम से कम 61 वर्ष बाद तो हमें बाहर आना चाहिए।** अंग्रेजों और पश्चिमी देशों से आयातित विचारधारा के विकृत भारतीयकरण के प्रभाव से भारत को अब बाहर निकलना चाहिए क्योंकि अपनी अस्मिता को पहचाने बगैर और उल्टे अपनी अस्मिता पर आघात करके भारत कभी 21वीं सदी का शक्तिशाली और स्वाभिमानी भारत नहीं बन सकता।

धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष का यह भ्रम किसी प्रकार की व्याख्या से दूर नहीं हो सकता। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग ही समाप्त कर दिया जाय। **इसलिए मैं यह घोषणा करता हूं कि**

आगे से हम कभी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे और भारत सरकार को बकायदा एक राजज्ञा निकालकर धर्मनिरपेक्ष शब्द का संवैधानिक प्रयोग प्रतिबंधित करना चाहिए। ताकि प्रधानमंत्री से लेकर देश के सामान्य नागरिक इस शब्द के संवैधानिक प्रयोग न कर सकें। ताकि इससे होने वाले भ्रम और हानि से बचा जा सके।

वैज्ञानिक उपलब्धियां

केन्द्र सरकार की निरंतर खराब नीति और नियत के चलते जो वातावरण बिगड़ रहा है उससे देश में एक बेहद निराशाजनक मनोविज्ञान का निर्माण हो रहा है। परन्तु देश के जनमानस को इसी बीच कुछ ऐसी उपलब्धियां भी देखने को मिली जो हमारे वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और तपस्या के फलस्वरूप देश की सामरिक और तकनीकी शक्ति में गुणात्मक वृद्धि करने में सफल रही है।

अभी कुछ दिन पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने एक साथ 10 उपग्रह सफलतापूर्वक छोड़कर भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक युगान्तर स्थापित किया है। मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र अग्नि–3 के सफल परीक्षण के द्वारा भारत की सामरिक शक्ति में काफी वृद्धि हुई। यह प्रक्षेपास्त्र 3000 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगाने और परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने आशा जताई है कि इस वर्ष के अंत तक 5000 किलोमीटर की दूरी तक की क्षमता वाले प्रक्षेपास्त्र का सफल प्रयोग भी कर लिया जायेगा।

आज इसी संदर्भ में मुझे स्मरण आता है कि पोकरण विस्फोट का एक दशक अभी 20 दिन पहले पूरा हुआ। 1998 में पोकरण का परमाणु विस्फोट भारत की स्वाभिमान और शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उद्घोष था। आज भारत की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत के उत्थान का श्रीगणेश वहीं से हुआ। आज उसका दशक पूरा होने पर मैं उस ऑपरेशन के मुख्य कर्ताधर्ता पूर्व राष्ट्रपति डा0 अब्बुल कलाम, उनके सहयेागी समस्त वैज्ञानिकों और उस निर्णय को लेने का अदम्य साहस दिखाने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी का स्मरण करते हुए उन सबका अभार व्यक्त करता हूं।

पोकरण विस्फोट का दशक पूर्ण होने पर भारतीय वैज्ञानिकों की इस शानदार सफलता के लिए भारतीय जनता पार्टी उन सबका अभिनंदन करती है और उन्हें आश्वस्त करती है कि यदि हमें देश की सत्ता चलाने का अवसर मिला तो हम उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप देश की प्रतिरक्षा के लिए नई तकनीकें विकसित करने का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करेंगे और 2020 तक भारत को एक शक्तिशाली विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प अवश्य पूर्ण करेंगे।

संगठन

भाजपा ने सदैव मुद्दों की राजनीति की है। ह संकीर्ण स्वार्थों की राजनीति नहीं करते हैं। आज यूपीए सरकार की कुशासन के चलते आम लोगों के जीवन में तकलीफें बढ़ गई हैं। बढ़ती महंगाई से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। भाजपा ने आम आदमी की इस पीड़ा के विरोध में गत 2 मई को राष्ट्रीय हड़ताल का ओयोजन किया । इस निमित्त सभी राज्यों के प्रमुख शहरों एवं ब्लाक स्तर पर महंगाई के विरोध में मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ। लाखों की संख्या में जनता ने स्वस्फूर्त आंदोलन में सहभागिता की। दुकानें बंद रही। वाहन रैली निकाली गई। महंगाई को लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के प्रांगण में मा. लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी सांसदों ने मानव श्रृंखला बना कर यूपीए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की, वहीं देश के आम नागरिकों की पीड़ा की अभिव्यक्ति थी।

झारखंड भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 दिनों से लगातार राज्यव्यापी जेल भरो आन्दोलन चला रही थी। इस आन्दोलन में प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री यशवंत सिन्हा सहित हमारे कई प्रमुख नेता घायल हुए और लगातार हजारों कार्यकर्ताओं ने वहां की राज्य सरकार के खिलाफ पूरे जोर–शोर से आन्दोलन किया। प्रत्येक दिन के आन्दोलन में वहां के प्रान्तीय नेताओं ने अगुआई की। मैं झारखंड प्रदेश

की भाजपा इकाई को इस सफलतम आन्दोलन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। इस आन्दोलन की समूचे झारखंड की जनता में जहां व्यापक चर्चा है वहीं उनका भाजपा को समर्थन भी मिला है।

मुझे खुशी है कि कि सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 150वीं वर्षगांठ पर भाजपा ने संस्कार भारती के सहयोग से जो राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान चलाया वह सदैव स्मरणीय रहेगा। मैं पुनः एक बार उन कार्यकर्ताओं को जो वर्ष भर इस कार्यक्रम में लगे रहे उन्हें बधाई देता हूं साथ ही इस पुनीत अवसर पर मैं उन शहीदों को पुनः प्रणाम करता हूं जिन्होंने मां भारती की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी की लड़ाई तक की कथा–कहानियों से सदैव प्रेरणा लेंगे।

महिला आरक्षण

भाजपा महिला मोर्चा ने फरवरी 2008 में रामलीला मैदान में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण को लेकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। दिल्ली के इतिहास में महिलाओं का इतना बड़ा प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा गया। मैं महिला मोर्चा को इस सफलतम रैली के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।

भाजपा ने अपने दिल्ली अधिवेशन में संगठन में महिलाओं को एक–तिहाई प्रतिनिधित्व देने के लिए आवश्यक संविधान संशोधन किया था। इस प्रकार भाजपा ने भारतीय राजनीति में एक नये अध्याय का श्रीगणेश किया।

मैं यह मानता हूं कि यह भाजपा की पहल और महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी के विषय पर भाजपा संगठन के ऐतिहासिक निर्णय और इससे उत्पन्न हुए दबाव का ही परिणाम था कि अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में कांग्रेस नेतृत्व की यपीूए सरकार ने पहली बार महिला आरक्षण विधेयक को संसद में रखने का निर्णय लिया।

आगामी विधान सभाओं के चुनाव

हमारे लिए यह आह्लाद का क्षण है। सात राज्यों में हम अपने बूते सरकार में हैं। पांच राज्यों में गठबंधन की सरकारे हैं। हम जहां शासन में हैं वहां लोगों की हमसे बहुत अपेक्षाएं हें। अतः भाजपा शासित राज्य सरकारों को जन–जन में विश्वास जगाने का सतत् अपना प्रयास जारी रखना होगा। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हमारी सरकारें जन विकास के कार्यों में बहुत आगे हैं। इन राज्यों में जहां हम अपनी सरकार के विकास कार्यों को जनता के सामने रखेंगे वहीं दिल्ली सहित इन तीनों राज्यों में केन्द्रीय स्तर पर कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की असफलताओं को हम चुनावी मुद्दा बनाएंगे। मेरी जानकारी के अनुसार इन तीनों राज्यों में राज्य सरकारों ने किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितार्थ एक नहीं अनेक फैसले लिए हैं। इन तीनों राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों के प्रति जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं मैं अपनी तीनों सरकारों को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि आने वाले निर्वाचन हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएंगे।

आह्वान

मित्रों, दिल्ली की गद्दी हमारे लिए दूर नहीं है। हमें आने वाले दिनों में जीतोड़ मेहनत करनी होगी। भारत की युवा शक्ति को जगाना होगा। उनकी ऊर्जा का संगठन के स्तर पर उपयोग करना होगा। हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन का संवाहक सदैव युवा ही रहा है। युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है। देश का युवा भाजपा को अपना संगठन कैसे माने, वह हमारे सिद्धांत और उद्देश्यों से कैसे जुड़े, हमारे दल के प्रति उसका झुकाव कैसे बढ़े, इस ओर हमें अधिक से अधिक ध्यान देना होगा। भारत के युवाओं का झुकाव वास्तविकता में किस ओर है इसे समझने के लिए मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि अभी अप्रैल के महीने में देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने आजादी के 60 वर्ष पूरे होने पर देश के युवाओं के मध्य एक

सर्वेक्षण करवाया कि 21वीं सदी में सर्वाधिक प्रेरक भारतीय उनकी नजर में कौन है। वेबसाइट और एसएमएस के जरिये लगभग 19000 के सैंपल साइज के सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रमुख लोगों में देश के युवाओं की पहली पसंद शहीद–ए–आजम भगत सिंह और दूसरी पसंद नेताजी सुभाष चन्द्र बोस है। यानी आज भी देश के युवा हृदय की धड़कन में राष्ट्रवाद की भावनायें ही बहती हैं। युवाओं के इस मनोभाव की प्रतिनिधि आज के युग में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही हो सकती है। हमें इसके व्यापक प्रयास करने चाहिए और अधिकाधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ने चाहिए।

इसी तरह भाजपा ने नारी शक्ति की अगुवाई के लिए संगठन में एक–तिहाई आरक्षण देकर जो अगुवाई की है, उस दृष्टि से हमें नारी शक्ति को भी खड़ा करना होगा। भाजपा सामाजिक समरसता में पूर्ण विश्वास रखती है। समाज के प्रत्येक वर्गों का विकास होना चाहिए। मैं इस अवसर पर देश के अल्पसंख्यकों से आग्रह करना चाहता हूं कि अब वे पंथनिरपेक्षता की आड़ में राजनीति करने वालों से सावधान हो जायं। भाजपा अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की बजाय प्रतिबद्ध नागरिक मानती है।

मित्रों, भारतीय राजनीति में जनता भाजपा को तहेदिल से सत्ता सौंपना चाहती है। हम भी चाहते हैं कि देश में मूल्यों की राजनीति का वातावरण बनें। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धारा 370, समान नागरिक संहिता, प्रबलतम पंथ निरपेक्षता के साथ–साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम सदैव कहते हैं सत्ता हमारे लिए साधन है साध्य नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि गांव–गांव में खड़े हमारे कार्यकर्ता अपने–अपने बूथों पर टोली बनाकर, जहां भाजपा का भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक विस्तार करेंगे वहीं आने वाले दिनों में अपने–अपने गांव और कस्बों में अपनी विचारधारा के समर्थकों और क्षेत्र का विस्तार करेंगे। अगर ऐसा करने में हम सफल हो गये, जो कि मुझे विश्वास है कि हम करेंगे ही, वह दिन दूर नहीं जब लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी पूरे राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

वंदे मातरम्